भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2005
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकीलों की नियुक्ति

+2005. श्री अमर शंकर साबले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकीलों को नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है ;

(ख) वर्तमान में देश में सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे कितने वकील हैं, क्या इस प्रकार के सरकारी वकीलों के पद रिक्त हैं अथवा क्या अधिक वकीलों की आवश्यकता है ;
(ग) क्या सभी को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रत्येक जिले अथवा तहसील में मुफ्त कानूनी सलाह केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 जनसंख्या के पात्र वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल वकीलों के पैनलीकरण के लिए मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करता है। पैनल वकीलों का चयन महा न्यायवादी [उच्चतम न्यायालय के लिए], महा अधिवक्ता [उच्च न्यायालय के लिए], जिला न्यायवादी या सरकारी प्लीडर [जिला और तालुक के लिए] और संस्थान की निगरानी और सलाह समिति के परामर्श में विधिक सेवा संस्थान के कार्यपालक अध्यक्ष या चेयरमैन द्वारा किया जाता है।

(ख) : वर्तमान में, पूरे देश में ऐसे लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 61,295 पैनल वकील पैनलीकृत किए गए हैं, ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । पैनल वकीलों को कार्य भार के अनुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा पैनलीकृत किया जाता है। अब तक, पैनल वकीलों की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थाओं पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) : विधिक सेवा संस्थान तालुक न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय के स्तर तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित किए गए हैं। विधिक सेवा संस्थानों ने आगंतुकों को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए प्रमुख कार्यालय स्थापित किए हैं। जेलों, न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबीएस), सामुदायिक केंद्रों, गांवों/ग्रामीण क्षेत्रों और विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी 23,000 से अधिक विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

****